न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 50 / 2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023 / 132
दायर दिनांक :- 17.05.2023 निर्णय दिनांक :- 23.07.2025

1. इन्द्राराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
2. रेवतराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
3. हडमानराम पुत्र खमणाराम जाति मेघवाल निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. आत्माराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
2. केकुदेवी पत्नी नखताराम जाति मेघवाल निवासी सांगूरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. भगवानाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
4. मुलाराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
5. रमेश पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
6. लिछमणराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
7. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम जम्भेशवरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 19 रकबा 20.1614 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम जम्भेशवरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बडीसिड

23/7/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

तहसील बाप में खसरा नम्बर 19 रकबा 20.1614 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम जम्भेशवरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 19 रकबा 20.1614 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	इन्द्राराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल सा. बड़ीसिड खातेदार। रहन एस.बी.आई बैंक शाखा कानसिंह की सिड	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6802 हैक्टेयर	बी–4
2	रवतराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल सा. बड़ीसिड खातेदार। रहन एस.बी.आई बैंक शाखा कानसिंह की सिड	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6801 हैक्टेयर	बी–4
3	हड़मानराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल सा. बड़ीसिड खातेदार। रहन एस.बी.आई बैंक शाखा कानसिंह की सिड	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6801 हैक्टेयर	बी–4
4	लिछमणराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल सा. बड़सिड खातेदार	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6801 हैक्टेयर	बी–4
5	भगवानाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल सा. बड़ीसिड खातेदार	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6801 हैक्टेयर	बी–4
6	मूलाराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल 1/2 हिस्सा, रमेश पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल 1/2 हिस्सा सा. बड़ीसिड खातेदार	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6802 हैक्टेयर	बी–4

7	आत्माराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल सा. बड़ीसिड खातेदार	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6803 हैक्टेयर	बी–4
8	केकुदेवी पत्नी नखताराम जाति मेघवाल सा. सांगुरी खातेदार। रहन एस.बी.आई बैंक शाखा कानसिंह की सिड	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6803 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. इन्द्राराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
2. रेवतराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
3. हड़मानराम पुत्र खमणाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. आत्माराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
2. केकुदेवी पत्नी नखताराम जाति मेघवाल निवासी सांगूरी तहसील बाप जिला फलोदी
3. भगवानाराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
4. मुलाराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
5. रमेश पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
6. लिछमणराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी बड़ीसिड तहसील बाप जिला फलोदी
7. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 50/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम जम्भेशवरनगर द्वितीय पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 19 रकबा 20.1614 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	इन्द्राराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल सा. बड़ीसिड खातेदार। रहन एस.बी.आई बैंक शाखा कानसिंह की सिड	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6802 हैक्टेयर	बी–4
2	रवतराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल सा. बड़ीसिड खातेदार। रहन एस.बी.आई बैंक शाखा कानसिंह की सिड	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6801 हैक्टेयर	बी–4
3	हड़मानराम पुत्र खमाणाराम जाति मेघवाल सा. बड़ीसिड खातेदार। रहन एस.बी.आई बैंक शाखा कानसिंह की सिड	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6801 हैक्टेयर	बी–4
4	लिछमणराम पुत्र कुम्भाराम जाति मेघवाल सा. बड़सिड खातेदार	जम्भेशवरनगर द्वितीय	19	1.6801 हैक्टेयर	बी–4

23/3/23

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

	[illegible] पुत्र [illegible] जाति मेघवाल सा. बढ़ीमिठ खातेदार	प्रतिवादीगण द्वितीय	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	मूलाराम पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल 1/2 हिस्सा, रमेश पुत्र प्रेमाराम जाति मेघवाल 1/2 हिस्सा सा. बढ़ीमिठ खातेदार	प्रतिवादीगण द्वितीय	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	आत्माराम पुत्र कुंपाराम जाति मेघवाल सा. बढ़ीमिठ खातेदार	प्रतिवादीगण द्वितीय	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	केकूदेवी पत्नी [illegible] जाति मेघवाल सा. सांगुरी खातेदार। रहन एस.बी.आई. बैंक शाखा [illegible] की सिद्ध	प्रतिवादीगण द्वितीय	[illegible]	[illegible]	[illegible]

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त [illegible] भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा [illegible] ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। फीस

मुतालिक बाबत

की तारीख खर्चा इस मुकदमे का कुल व बाबत [illegible] फीस वादी [illegible]

वसूल वादी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.07.2025 को जारी की गई।

([illegible] सिण्डिक R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।